न्यायालय अफजल खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उज्जैन म0प्र0

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 2362/2009
फाइलिंग क्रमांक 3208/2009
फाइलिंग दिनांक 02.05.2009
सी0एन0आर0 नंबर एम0पी0–1301–004678–2009

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र महाकाल उज्जैन म0प्र0

अभियोगी

विरूद्ध

कयामुद्दीन पिता शरफुद्दीन, उम्र 38 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, निवासी कुम्हारवाड़ा, स्वामी नारायण मंदिर के पीछे बड़ौदा, गुजरात

अभियुक्त

आरक्षी केन्द्र महाकाल तहसील व जिला उज्जैन के अपराध क्रमांक 699/2008 अंतर्गत धारा 3, 10, 13 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण।

–:: निर्णय ::–

{आज दिनांक 22–8–2009 को घोषित}

1. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3 सह पठित धारा 10 तथा धारा 3 सह पठित धारा 13 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अंतर्गत आरोप है कि, उसने दिनांक 09.11.2008 को 23:15 बजे बड़नगर रोड़ मुल्लापुरा नाका के आगे पुलिया मुल्लापुरा उज्जैन में केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 अनुसार सिमी तथा इंडियन मुजाहिदीन संगठन को विधि विरूद्ध घोषित किए जाने के बावजूद उस संगठन के सदस्य के रूप में बने रहें और संगठन की संक्रियाओं में सहायता प्रदान की तथा उक्त विधि विरूद्ध घोषित किए गए संगठन की विधि विरूद्ध क्रिया में भाग लेकर या पक्ष समर्थन कर उसकी सहायता की।

2. अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि, थाना प्रभारी महाकाल उज्जैन दौलतसिंह अ0सा0 4 को दिनांक 09–11–08 को ए0टी0एस0/एस0टी0एफ0 के डी0एस0पी0 धर्मवीर अ0सा0 5 द्वारा सूचना दी गई कि, प्रतिबंधात्मक संगठन सिमी एंव इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी अभियुक्त

कयामुद्दीन लाईनदार शर्ट, जींस का पेंट पहने हुए, रंग गोरा, कद करीब 5 फीट 5 इंच, गोल चेहरा, क्लीन शेव्ड, लाल–काले रंग का बैग लेकर मुल्लापुरा नाका के आगे बड़नगर रोड़ पर रात करीब 11, 11:30 बजे आकर अन्य स्थान पर किसी वाहन में बैठकर फरार होने वाला है, जिसे पकड़ने के लिए दो टीमें बनाई गई जिन्हें हमराह लेकर मय पंचान रूपेश अ0सा0 1 तथा जीतू अ0सा0 8 के साथ मुल्लापुरा की ओर रवाना हुआ, जहां पुलिया के आगे दक्षिण दिशा में पार्टी नंबर 2 व उत्तर दिशा में पार्टी नंबर 1 लग गई, पुलिया व पेड़ झाड़ियों में उपस्थिति छिपाए रख कर एंबुश लगाया, फिर आधा घंटे बाद अभियुक्त मुल्लापुरा की ओर से आया जिसकी कद–काठी व कपड़े सूचना अनुसार थे, वाहनों की रोशनी में उसका चेहरा भी देखा देखा, फिर अभियुक्त वहां पर किसी वाहन का इंतजार करने लगा, फिर अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भागने लगा जिसे पकड़ा गया व नाम–पता पूछा, फिर उसने बताया कि वह प्रतिबंधित संगठन सिमी व इंडियन मुजाहिदीन संगठन के लिए सक्रियता से कार्य करता होकर अहमदाबाद विस्फोट के मामले में फरार है, फिर अभियुक्त की तलाशी ली गई तो उसके काले–लाल रंग के बेग में से प्रतिबंधित संगठन सिमी का साहित्य, सदस्यता फार्म, फंड कलेक्शन की रसीद, सिमी से संबंधित किताबों के पेज जिनमें हिंदूओं के विरूद्ध भड़काने वाली बातें लिखी थी पाए गए, जिन्हें जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, फिर थाने पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीयों के कथन अंतर्गत धारा 161 द0प्र0स0 लेखबद्ध किये गये, अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त की गई तथा शेष विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय चरण 1 अनुसार आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। धारा 313 द0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर उसके अभियुक्त परीक्षण के समर्थन में जेल से प्राप्त उसका पत्र उसके अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया जिसमें उसने बचाव लिया कि, उसने पुलिस की सहायता करने से मना कर दिया था जिस कारण उसे असत्य रूप से प्रकरण में आलिप्त किया गया है, उसे व उसके भाई को दिनांक 31–3–08 को पुलिस वालें उसकी दुकान से बुलाकर ले गए थे, फिर उसे म0प्र0 पुलिस को सौंप दिया गया, उसे पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया और उसका

एनकाउंटर करने की धमकी देकर दस्तावेज तैयार करवाए गए, पुलिस वालों की धमकी के कारण वह न्यायालय में भी सही बात नहीं बता पाया, वह सिमी या इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य नहीं है, उससे कोई दस्तावेज जप्त नहीं किए गए है एंव उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

4. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है —

1 क्या अभियुक्त दिनांक 09.11.2008 को 23:15 बजे बड़नगर रोड़ मुल्लापुरा नाका के आगे पुलिया मुल्लापुरा उज्जैन में केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 अनुसार सिमी तथा इंडियन मुजाहिदीन संगठन को विधि विरूद्ध घोषित किए जाने के बावजूद उस संगठन के सदस्य के रूप में बना रहा था और संगठन की संक्रियाओं में सहायता प्रदान की ?

2 क्या अभियुक्त ने उक्त विधि विरूद्ध घोषित किए गए संगठन की विधि विरूद्ध किया में भाग लेकर या पक्ष समर्थन कर उसकी सहायता की ?

<u>विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष</u>

5. उक्त समस्त विचारणीय प्रश्न परस्पर एक—दूसरे से संबंधित होकर उनके संबंध में साक्ष्य भी एक ही श्रंखला में आई है जिस कारण साक्ष्य तथा तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. इस संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र महाकाल उज्जैन दौलतसिंह अ0सा0 4 का कथन रहा है कि, उसे दिनांक 09—11—08 को एस0टी0एफ0 के डी0एस0पी0 धर्मवीर अ0सा0 5 द्वारा थाने पर सूचना दी कि प्रतिबंधित संगठन सिमी एंव इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी, अभियुक्त लाईनदार शर्ट व जींस पहने, रंग गोरा, कद 5 फीट 5 इंच, लाल—काले रंग का बैग लेकर मुल्लापुरा नाके के आगे बड़नगर रोड़ पर रात्रि करीब 11 बजे आकर अन्य स्थान के लिए किसी वाहन में सवार होकर जाने वाला है, यह सूचना थाने पर रोजनामचा सान्हा कमांक 982 पर दर्ज की गई, फिर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई, फिर टीम व पंचान रूपेश अ0सा0 1 व जीतू अ0सा0 8 को

लेकर मुल्लापुरा के लिए रवाना हुए, दोनों टीमें झाड़ियों में छिपकर बैठी थी, तब करीब आधा घंटे के बाद अभियुक्त मुल्लापुरा पुलिया पर आया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा व पूछताछ की, उसके बैग की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित सिमी साहित्य के दस्तावेज मिले, जिसे उसने जप्त किया। साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–1 देखकर बताया कि अभियुक्त के आधिपत्य से एक लाल–काले रंग का बैग जिसमें अंग्रेजी में आई केन, आई डू लिखा था, सिमी के मेंबरशिप फार्म की छायाप्रति, सिमी के सदस्यता फार्म की प्रति, सिमी के फण्ड कलेक्शन करने के लिए उर्दू व अंग्रेजी में छपे 10, 25 व 60 रूपये के कूपन टाईप रसीद की छायाप्रति, सिमी के लिए फण्ड कलेक्शन हेतु छपी रसीदों की छायाप्रति, सिमी से संबंधित दस्तावेजों पर फोटो छपे हुए जिसकी 7 छायाप्रतियां जिनमें सिमी संघर्ष के 25 वर्ष, तहरीर तीन लाख मौतों का जिम्मेदार कौन आदि भड़काउं पैगाम लिखे थे, सिमी संगठन के उद्देश्य व विकास की गाथा व भड़कांउ बातें लिखी हुई, कागजों की 61 छायाप्रतियां जिसमें सिमी के संगठन की गाथा, एक्सपोजिंग हिंदुत्व, एक नाकाम पति राम, राम की हकीकत, कौन था वानर, सफदर नागौरी सिमी के दो शब्द, गाय तुम्हारी माता है पर उंट से क्या नाता है, राम राज्य में अबला नारी, शूर्पणखा की दुर्दशा, वंदे मातरम के विरूद्ध लिखा फतवा, क्या राम आतंकवाद के हिमायती थे आदि शब्द हिंदुओं के खिलाफ लिखे थे, को जप्त किया था। साक्षी ने प्रदर्श पी–3 का मेमोरेंडम देखकर बताया कि अभियुक्त ने जानकारी दी थी कि सिमी का प्रचार, प्रसार कर साहित्य वितरण व मोटीवेट करने का काम करने वाले इकरार शेख निवासी उज्जैन, इनामुर्रहमान निवासी खंडवा, इरफान निवासी करेली नरसिंहपुर, सोहेल निवासी जबलपुर, डॉक्टर अबू फेजल उर्फ फहीम उर्फ फरहान निवासी देवास को जानता है, जिनके घर व मिलने के स्थान देखे है, चलकर उन्हें पकड़ा देता है व उनसे सिमी का साहित्य जप्त करा देता है। साक्षी ने मालखाने से तलब आर्टिकल ए–1 लगायत आर्टिकल ए–63 देखकर उन्हें अभियुक्त से जप्त करना व्यक्त किया।

7. साक्षी के उक्त कथन का समर्थन एस0टी0एफ0 भोपाल के निरीक्षक संजयसिंह अ0सा0 2, सी0आय0 सेल भोपाल के उप–निरीक्षक एजाज अ0सा0 3, एस0टी0एफ0 उप–पुलिस अधीक्षक धर्मवीर अ0सा0 5, एस0टी0एफ0 भोपाल के आरक्षक अवध अ0सा0 6, थाना महाकाल उज्जैन के आरक्षक लोकेन्द्र अ0सा0

7, एस0टी0एफ0 भोपाल के आरक्षक हासिद अ0सा0 9, थाना महाकाल उज्जैन के उपनिरीक्षक शैलेन्द्रसिंह अ0सा0 10 तथा म0प्र0 गृह विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड–1 लक्ष्मीनारायण अ0सा0 11 द्वारा किया गया है।

8. जहां तक संपूर्ण कार्यवाही जप्ती आदि के स्वतंत्र पंचसाक्षी रूपेश अ0सा0 1 तथा जितेन्द्र अ0सा0 8 का प्रश्न है, उनके द्वारा अभियोजन कहानी अनुसार अभियुक्त से आर्टिकल ए–1 लगायत आर्टिकल ए–63 जप्त किए जाने संबंधी कार्यवाही उनके समक्ष की गई होने से इन्कार किया है। इस प्रकार प्रकरण में स्वतंत्र पंच–साक्षीगण द्वारा अभियोजन कहानी अनुसार अभियुक्त से किसी प्रकार का साहित्य आदि जप्त होने से इन्कार किया होकर मात्र पुलिस साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन कहानी अनुसार घटना का समर्थन किया है, किंतु वे पुलिस साक्षीगण होकर अभियुक्त की दोषसिद्धी हेतु हितबद्ध साक्षी है, जिस कारण उनके कथनों की सूक्ष्म विवेचना की जाना आवश्यक है।

9. उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभिलेख पर अन्य कोई मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

10. जहां तक प्रकरण में आई साक्ष्य का प्रश्न है, सी0आई0 सेल भोपाल के उप–निरीक्षक एजाज अ0सा0 3 द्वारा प्रतिपरीक्षण चरण 3 में व्यक्त किया है कि, वे भोपाल से उज्जैन शाम 5 बजे पहुंच गए थे और सीधे महाकाल थाने गए थे, जबकि इसके विपरीत एस0टी0एफ0 के उप–पुलिस अधीक्षक धर्मवीरसिंह अ0सा0 5 ने प्रतिपरीक्षण चरण 6 में व्यक्त किया है कि, उनकी टीम उज्जैन में सीधे महाकाल थाने नही गए थे एंव वे बाद में रात्रि करीब दस, सवा दस के बजे के आस–पास महाकाल थाना उज्जैन पहुंचे थे। इसी प्रकार एस0टी0एफ0 भोपाल के आरक्षक अवध अ0सा0 6 ने भी प्रतिपरीक्षण चरण 6 में व्यक्त किया है कि, उज्जैन आने के के बाद वे सीधे महाकाल थाने नहीं गए थे। इसी प्रकार एस0टी0एफ0 आरक्षक हासिद अ0सा0 9 ने भी प्रतिपरीक्षण चरण 7 में व्यक्त किया है कि, वे उज्जैन में सर्वप्रथम सूचना की तस्दीक के लिए मौके पर गए थे। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में उक्त साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास आया है।

11. प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना के संबंध में एस0टी0एफ0 टीम की भोपाल से रवानगी, थाना महाकाल उज्जैन पहुंचने, वहां से घटना–स्थल के लिए रवाना होने व वहां से थाने पर वापसी के संबंध में प्रकरण में कोई रोजनामचा

सान्हा या भोपाल से आए शासकीय वाहन की लॉग बुक आदि प्रस्तुत नहीं किये है, जिस तथ्य को दौलतसिंह अ0सा0 4 तथा धर्मवीरसिंह अ0सा0 5 द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार भी किया है, किंतु उक्त दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण होकर उनसे अभियोजन कहानी को बल मिल सकता था किंतु उन्हें प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया होकर उनकी अप्रस्तुति का कोई कारण भी साक्षीगण ने नहीं दर्शाया है।

12. जहां तक जप्ती कार्यवाही का प्रश्न है, दौलतसिंह अ0सा0 4 ने प्रतिपरीक्षण चरण 8 में व्यक्त किया है कि, जो सामान अभियुक्त से जप्त किया था उसे मौके पर ही सीलबंद किया था। प्रतिपरीक्षण चरण 10 में साक्षी ने जप्ती चिट आर्टिकल ए–2 पर प्रकरण का अपराध कमांक लिखा होने का स्पष्टीकरण दिया है कि, जब मौके पर जप्ती कार्यवाही कर सीलबंद कार्यवाही जारी थी तब देहाती नालशी थाने पर भेजी जा चुकी थी जिस पर से अपराध थाने पर दर्ज किया था एंव जब सीलबंद करने की प्रकिया अंतिम चरण में थी तब थाने से वायरलेस के द्वारा अपराध कमांक पूछकर आर्टिकल–ए–2 पर अपराध कमांक दर्ज किया था, किंतु साक्षी का उक्त स्पष्टीकरण संभाव्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि देहाती नालशी प्रदर्श पी–4 में उल्लेखित है कि, जप्तशुदा वस्तुएं सीलबंद की गई है। इस प्रकार जब देहाती नालशी लिखे जाने के पूर्व ही जप्तशुदा वस्तुंए सीलबंद की जा चुकी थी तो जप्ती चिट आर्टिकल ए–2 पर अपराध कमांक किस प्रकार दर्ज किया जा सकता था। साक्षी का यह स्पष्टीकरण भी संभाव्य प्रतीत नहीं होता है कि, थाने से वायरलेस से प्राप्त जानकारी के आधार पर आर्टिकल ए–2 पर अपराध कमांक डाला गया था क्योंकि ऐसी कौनसी परिस्थिति थी जिससे आर्टिकल ए–2 पर अपराध कमांक दर्ज करना अनिवार्य था, क्योंकि विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि, मौके पर जो कार्यवाही की जा रही है उस पर अपराध कमांक अंकित किया जाना अनिवार्य हो, जिस कारण उक्त तथ्य से जप्ती कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है।

13. इसके अतिरिक्त आर्टिकल ए–2 के अलावा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–1 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–2 पर भी अपराध कमांक अंकित है जो संदेहास्पद है क्योंकि यदि मौके पर ही उक्त संपूर्ण कार्यवाही की जा रही थी तब तक तो अपराध कमांक तो थाने पर दर्ज ही नहीं था एंव अपराध तो थाने पर वापसी के बाद दर्ज किया गया है तो फिर मौके पर तैयार किए गए दस्तावेजों में

अपराध क्रमांक किस प्रकार अंकित हो सकता था।

14. इसके अतिरिक्त अभियुक्त से संपूर्ण दस्तावेज छायाप्रति के रूप में जप्त किए गए है, कोई भी असल दस्तावेज जप्त नहीं किया गया है जो भी असंभाव्य प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य उस संगठन के दस्तावेज, रसीदें, संगठन की पुस्तकों आदि के दस्तावेज छायाप्रति के रूप में नहीं रखेगा बल्कि असल दस्तावेज ही साथ रखेगा क्योंकि छायाप्रतियों से ऐसे संगठन का कोई उद्देश्य हल नहीं हो सकता था और न ही छायाप्रतियों की रसीदों से किसी से राशि प्राप्त कर सदस्य ही बनाया जा सकता था, जिस कारण उक्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां जप्ती से भी अभियोजन कहानी संदेहास्पद एंव अभियुक्त की यह बचाव कहानी संभाव्य प्रतीत होती है कि, सिमी संगठन के दस्तावेजों की छायाप्रतियां पुलिस ने कहीं से लेकर उससे असत्य जप्ती बताई गई है।

15. इसके अतिरिक्त अभियुक्त से जो प्रदर्श पी–3 का मेमोरेंडम लिया गया था जिसमें अभियुक्त ने बताया कि सिमी का प्रचार, प्रसार कर साहित्य वितरण व मोटीवेट करने का काम करने वाले इकरार शेख निवासी उज्जैन, इनामुर्रहमान निवासी खंडवा, इरफान निवासी करेली नरसिंहपुर, सोहेल निवासी जबलपुर, डॉक्टर अबू फेजल उर्फ फहीम उर्फ फरहान निवासी देवास को जानता है, जिनके घर व मिलने के स्थान देखे है, चलकर उन्हें पकड़ा देता है व उनसे सिमी का साहित्य जप्त करा देता है, किंतु न तो उक्त व्यक्तियों को प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है और न ही उनसे अभियुक्त कयामुद्दीन द्वारा दिए गए मेमोरेंडम अनुसार कोई जप्ती की गई है और न ही उक्त मेमोरेंडम की कोई तस्दीक की गई जिस तथ्य को दौलतसिंह अ0सा0 4 ने प्रतिपरीक्षण चरण 13 में स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा प्रदर्श पी–3 के मेमोरेंडम में दर्शाए व्यक्तियों के विरूद्ध न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई जप्ती की गई थी, जिससे भी अभियोजन कहानी संदेहास्पद व अभियुक्त की बचाव कहानी संभाव्य प्रतीत होती है।

16. जहां तक सिमी संगठन व इंडियन मुजाहिदीन को विधि विरूद्ध संगठन घोषित किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई भी अधिसूचना प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है, फिर भी यदि यह मान लिया जावें कि

उक्त दोनों संगठन शासन द्वारा उस समय विधि विरूद्ध घोषित किए जा चुके थे तो भी अभियुक्त का उक्त संगठन का सदस्य होने के संबंध में कोई दस्तावेज अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में धर्मवीरसिंह अ0सा0 5 ने प्रतिपरीक्षण चरण 12 में व्यक्त किया है कि, अभियुक्त विधि विरूद्ध संगठन सिमी का सदस्य था ऐसा अभिलेख उनके पास उपलब्ध था जिसमें अभियुक्त का भी फोटो था, किंतु उसे प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि अभियुक्त को उक्त विधि विरूद्ध संगठनों का सदस्य भी मान लिया जावें तो अभियुक्त का उक्त विधि विरूद्ध संगठन की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से लिप्त रहा होने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। इस संबंध में मात्र अभियुक्त का मेमोरेंडम प्रदर्श पी–3 अभियोजन ने प्रस्तुत किया है किंतु उक्त मेमोरेंडम अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष पुलिस की अभिरक्षा में दिया है जिस कारण धारा 25 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उसे साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध पढ़ा भी नहीं जा सकता है। इस संबंध में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्याय–उद्धरण इंद्र दास विरूद्ध असम राज्य 2011 सी0आर0एल0जे0 1646 तथा अरूप भूयन विरूद्ध असम राज्य 2011 पार्ट–3 एस0सी0सी0 377 अवलोकनीय तथा अवलंबनीय है।

17. इसके अतिरिक्त अभियोजन कहानी अनुसार अभियुक्त गुजरात बम ब्लास्ट के केस में वांछित होकर फरार रहा है, किंतु उक्त प्रकरण के भी कोई दस्तावेज इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए है कि, अभियुक्त उक्त मामलें में वांछित होकर फरार था।

18. जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदर्श पी–6 का प्रश्न है, उक्त स्वीकृति म0प्र0 शासन गृह विभाग द्वारा जारी की गई जबकि विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 17 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी ऑफिसर की मंजूरी से ही लिया जा सकता है किंतु इस प्रकरण में प्रदर्श पी–6 की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं दी गई है और न ही अभियोजन ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह दर्शित हो कि म0प्र0 शासन के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद चौधरी को केन्द्रीय सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया

था। यद्यपि उक्त प्रदर्श पी–6 के आदेश में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27–9–10 एंव दिनांक 14–2–06 का उल्लेख अवश्य किया है किंतु उक्त दोनों अधिसूचनाएं सिमी संगठन को विधि विरूद्ध घोषित किए जाने के संबंध में है न कि म0प्र0 शासन के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद चौधरी को केन्द्रीय सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु अधिकृत किया जाने के संबंध में है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 17 के अनुसार अभियोजन चलाने की अनुमति केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा दी जाना प्रकरण में प्रमाणित नहीं किया गया है।

19. इस प्रकार उक्त विवेचना अनुसार अभियुक्त का विधि विरूद्ध संगठन सिमी व इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है, अतः अभियुक्त को धारा 3 सह पठित धारा 10 तथा धारा 3 सह पठित धारा 13 विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्त प्रकरण में जेल में निरूद्ध है, अतः उसका विधिवत् रिहाई आदेश जारी किया जावें कि अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने की दशा में उसे अविलंब रिहा किया जावें।

21. प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल ए–1 लगायत ए–63 की वस्तुएं मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किए जावें तथा अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययनीत किया जावें।

22. प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 10–11–08 से आज दिनांक तक कुल 10 वर्ष 09 माह तथा 12 दिवस अभिरक्षा में रहा हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनॉकित, हस्ताक्षरित एंव घोषित।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(अफजल खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
उज्जैन (म.प्र.)

(अफजल खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
उज्जैन (म.प्र.)